



**राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।**

अपील संख्या 1638/2015 .....जिला.....श्रीगंगानगर.....

उनवान – मैसर्स किशनपुरिया उद्योग, घडसाना, श्रीगंगानगर बनाम 1. उपायुक्त (अपील्स), बीकानेर  
2. सहायक आयुक्त, सूरतगढ़।

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
10.02.2017	<p align="center"><b>खण्डपीठ</b> <b>श्री मदन लाल, सदस्य</b> <b>श्री के.एल.जैन, सदस्य</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री वी.के.पारीक द्वारा विद्वान बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित एमेनेस्टी स्कीम, 2016 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी अभिभाषक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 1638/2015/श्रीगंगानगर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">               सदस्य              राजस्थान कर बोर्ड              अजमेर         </div> <div style="text-align: center;">               सदस्य              राजस्थान कर बोर्ड              अजमेर         </div> </div>	